

# **ELECTION COMMISSION OF INDIA**

**Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001**

No.576/3/2014/SDR-Vol.II

Dated: 13<sup>th</sup> March, 2014

To,

The Chief Electoral Officers  
of all States and Union Territories

Subject: Facilities to be provided to differently abled electors.

Sir/Madam,

I am directed to invite your attention to the Commission's two letters bearing No. 509/110/2004-JS-I dated 26.10.2007 and 24-03-2009 (copies enclosed) regarding facilities to be provided to differently abled electors. Your attention is also invited to the directions of the Hon'ble Supreme Court in its order dated 5.10.2007 in the WP(Civil) No. 187 of 2004- Disabled Rights Group Vs. The Chief Election Commissioner & Anr.

As per the instructions in the above mentioned letter, you are requested to ensure the following measures at the current General Election to the House of the People, 2014 and State Legislative Assembly in the State:

- The personnel at the polling station must ensure that differently abled electors are given priority for entering the polling station, without having to wait in the queue for other electors and all necessary assistance as may be required should be provided to them at the polling station.
- Full facility should be provided for such electors to take their wheel-chairs inside the polling station. In the polling stations where permanent ramps have not been provided, temporary ramps should be provided for the purpose.
- The polling personnel should be specifically briefed about the provisions of Rule 49N of the Conduct of Elections Rules, 1961, which provides for permitting a companion to accompany a blind/infirm elector to assist him/her to cast the vote, if he/she so wishes.
- At the training classes for the polling personnel, they should be sensitized about the special needs of the differently abled electors, for courteous behavior towards them and for providing necessary support to them at the polling station.
- Electors with speech and hearing impairment should also be given special care as in the case of other differently abled person.

The facilities being provided, as above, may be given wide publicity through Press release etc.

Yours faithfully,

(N.T.Bhutia)

Under Secretary

Hindi version follows

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001

सं. 576/3/2014/एसडीआर-खण्ड-II

दिनांक: 13 मार्च, 2014

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों  
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय:- निःशक्त मतदाताओं को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाएं।

महोदय/महोदया,

मुझे आपका ध्यान निःशक्त निर्वाचकों को उपलब्ध करवाए जाने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित आयोग के दिनांक 26.10.2007 और 24.03.2009 के दो पत्रों सं. 509/110/2004-जे एस-I(प्रति संलग्न) की ओर आकर्षित करने का निदेश हुआ है। डिसएबल्ड राइट्स ग्रुप बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 187/2004 में दिनांक 05-10-2007 के आदेश में दिए गए निदेशों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।


उपर्युक्त पत्र में दर्शाए गए अनुदेशों के अनुसार, आपसे अनुरोध है कि वर्तमान लोकसभा निर्वाचन, 2014 और राज्य में राज्य विधान सभा के निर्वाचन में निम्नलिखित मापदंडों को सुनिश्चित करें:

- मतदान केन्द्र पर कार्मिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निःशक्त निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में, अन्य निर्वाचकों के साथ पंक्ति में प्रतीक्षा करवाने के बजाए प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाए और उनको सभी आवश्यक सहायता, जो सम्भव हो, मतदान केन्द्र पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
- ऐसे मतदाताओं के लिए पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि वे मतदान केन्द्रों के अंदर अपनी व्हील-चेयर ले जा सकें। ऐसे मतदान केन्द्रों पर जहां रथाई रैम्प की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां अस्थाई रैम्प उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

- मतदान कार्मिकों को विशेष रूप से यह ब्रीफ कर देना चाहिए कि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 एन के उपबन्धों के अनुसार किसी नेत्रहीन/अशक्त निर्वाचक को, यदि वह ऐसा चाहे तो, उसके द्वारा वोट डालने में सहायता करने के लिए एक सहयोगी को अनुमति प्रदान करने का प्रावधान है।
- मतदान कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं में उन्हें भिन्नतः सक्षम मतदाताओं की विशेष आवश्यकताओं, उनके प्रति विनम्र व्यवहार और उनको मतदान केन्द्र पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए, संवेदनशील बनाना चाहिए।
- अन्य भिन्नतः सक्षम मतदाताओं की तरह, बोलने व सुनने की दुर्बलता वाले मतदाताओं की भी विशेष देखभाल की जानी चाहिए।

उपलब्ध करवाई जाने वाली उपर्युक्त सुविधाओं का प्रेस रिलीज़ इत्यादि के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए।

भवदीय

  
(एन.टी.भूटिया)  
अवर सचिव